निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 984) पटना, बुधवार, 18 अक्तूबर 2017

सं० एम-4-53/2007-8236/**वि०**
वित्त विभाग

संकल्प
17 अक्तूबर 2017

विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 एवं 4573, दिनांक 04.07.2017 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा गठित Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि के स्थापना के लिए पद सृजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा गठित Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि को किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन के लिए ऋण, अनुदान के रुप में राशि उपलब्ध कराई जाती है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पदसृजन की आवश्यकता होती है । भले ही उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि द्वारा अपने आय से अथवा सेंटेज से प्राप्त राशि से की जाती है ।

3. उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-3(ग) में प्रावधानित ***''स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन अथवा उत्क्रमण तथा वाहन के क्रय संबंधी प्रस्ताव जो पूर्व में गैर योजना व्यय से सम्बन्धित थे, की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति रहेगी''*** को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन अथवा उत्क्रमण, वाहन के क्रय संबंधी प्रस्ताव जो पूर्व में गैर योजना व्यय से सम्बन्धित थे, के संदर्भ में राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा गठित Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड,

प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि के स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति रहेगी''

4. तद्नुसार राज्य सरकार के द्वारा गठित Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि अपने Bye-laws को इस हद तक संशोधित कर लेंगे ।

5. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

आदेशः- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 984-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in